

अध्याय 3: आंतरिक नियंत्रण तथा अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों में अस्पष्टता

निष्पादन लेखापरीक्षा में पता लगाने की परिकल्पना की गई कि क्या प्रभावपूर्ण निर्धारणों को सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ, आंतरिक नियंत्रण तथा पद्धतियाँ पर्याप्त एवं सुदृढ थीं ताकि निर्धारितियों द्वारा आय की कम सूचना या व्ययों को बढ़ाकर बताने के कारण राजस्व हानि को रोका जा सके। उद्देश्य निर्धारणों की गुणवत्ता में कमियों के साथ-साथ मौजूदा प्रावधानों में कमियों और अस्पष्टता की जांच करना भी था जो आय और व्यय की सूचना में हेर-फेर करने वाले निर्धारितियों के उपयोग के लिए एक अंतराल पैदा करेगा। वर्तमान अध्याय मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित निर्धारितियों से निपटने में आयकर विभाग द्वारा प्रणालीगत मुद्दों और आंतरिक नियंत्रण/निगरानी तंत्र के मामलों का वर्णन करता है।

3.1 विदेश में शूट की गई फिल्मों के संबंध में लेन-देनों की जांच

विदेशी स्थानों पर फीचर फिल्म पूरा करने हेतु, भारतीय निर्माणशाला (प्रोडक्शन हाउस), विदेशी लाइन निर्माता कंपनियों (लाइन निर्माता अर्थात: देशीय कंपनियों जो उस विशेष देश में पंजीकृत हैं) की सेवाएं किराए पर लेते हैं। विदेशी लाइन निर्माताओं द्वारा किए गए पूर्व और/या पश्च निर्माण व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित (भारतीय निर्माणशाला) द्वारा उनके बीच किए गए करार के आधार पर की जाती है और लाइन निर्माता को प्रतिपूर्ति किए गए सभी व्ययों का निर्धारित द्वारा इसके लाभ एवं हानि लेखा द्वारा व्यय के रूप में दावा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अधिकतर देशों जैसे युनाइटेड किंगडम (यूके), इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस आदि में उनके संबंधित देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु फिल्म निर्माणशालाओं के लिए संबंधित सरकारों द्वारा प्रोत्साहन योजना चलाई जाती है।

अधिनियम की धारा 90 के तहत हस्ताक्षरित कर संधियों में 'सूचना के आदान-प्रदान' का तंत्र शामिल है जिसके आधार पर एओ विदेशी लाइन निर्माताओं को भारतीय फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्माण लागत की क्षतिपूर्ति

और अधिनियम की धारा 90 के तहत विदेशी सरकार से अनुदान/ प्रोत्साहन की मात्रा की जांच के लिए विदेशी क्षेत्राधिकार से अनुरोध कर सकते हैं।

3.1.1 निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, महाराष्ट्र की 208 निर्माणशालाओं में से, हमने जांच के लिए 28 निर्माणशालाओं/कम्पनियों की पहचान की, जो मुख्यतः फिल्मों के निर्माण में लगी हुई थी। 28 निर्माणशालाओं/ कम्पनियों में से, हमने चार निर्माण कम्पनियों²⁵ के रिकॉर्डों की नमूना जांच की, जिनकी फिल्मों की शूट लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान विदेशों में की गई थी। चार में से, तीन निर्माण कम्पनियों ने विदेशी लाइन उत्पादकों को काम पर रखा/लगाया था। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

तीन निर्माणशालाओं²⁶ से संबंधित चार संवीक्षा निर्धारण मामलों में, निर्धारिती ने 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 223.78 करोड़ की निर्माण लागत का दावा किया और विदेशी लाइन निर्माताओं को क्षतिपूर्ति की अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एओ ने किसी भी जांच के बिना विदेशी लाइन निर्माताओं को प्रतिपूर्ति की गई निर्माण लागत के प्रति निर्धारितियों द्वारा किए गए दावे की अनुमति दी। किसी भी मामलों में, एओ ने अधिनियम की धारा 90 में सूचना के विनिमय के लिए तंत्र के अन्तर्गत विदेशी लाइन निर्माताओं द्वारा लिये गये व्यय के ब्यौरे नहीं मांगे थे।

इस प्रकार, आईटीडी ने विदेशी लाइन निर्माताओं द्वारा की गई निर्माण लागत के कारण व्यय के ब्यौरे और घरेलू निर्माताओं अर्थात् निर्धारिती द्वारा किये गये दावे को पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं किया। इसलिए, संभावना है कि निर्धारिती को अत्यधिक/अनियमित व्यय की अनुमति दी जा सकती है।

3.1.2 आईटी नियमावली के नियम 9ए के पहले परन्तुक के अनुसार फीचर फिल्म के प्रोडक्शन की लागत उस सरकार द्वारा बनाई गई किसी योजना के अन्तर्गत फिल्म निर्माता द्वारा प्राप्त अनुदान द्वारा कम की जाएगी जहां

25 पीसीआईटी-16, मुम्बई में मै. यशराज फिल्मस प्रा. लि., मै. सन्नी साउंडस प्रा. लि. और मै. एक्सल इंटरटेनमेंट प्रा. लि. और पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-2, मुम्बई में मै. रेड चिलीज इंटरटेनमेंट प्रा. लि.

26 मै. यशराज फिल्मस प्रा. लि., (नि.व. 2011-12 एवं नि.व. 2013-14) मै. सन्नी साउंडस प्रा. लि. (नि.व. 2014-15) और मै. रेड चिलीज इंटरटेनमेंट प्रा. लि. (नि.व. 2012-13)

अनुदान की इस राशि को निर्धारिती की कुल आय की गणना में नहीं जोड़ा गया है।

हमने चार निर्माता कंपनियों की चार संविक्षा निर्धारण मामलों में देखा कि दो मामलों²⁷ में, निर्धारिती ने विदेशों से ₹ 16.69 करोड़ की प्रोत्साहन/अनुदान के प्रकटन में फिल्म की निर्माण लागत को कम कर दिया था जबकि अन्य दो मामलों²⁸ में, निर्धारिती ने फिल्म की निर्माण लागत का दावा करते समय किसी प्रोत्साहन/अनुदान को नहीं दिखाया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि, दोनों परिस्थितियों में, एओ ने निर्धारिती के प्रस्तीकरण को स्वीकार किया और संवीक्षाधीन निर्धारण को पूरा करते समय विदेशों से प्राप्त प्रोत्साहन/अनुदान के ब्यौरे को बिना सत्यापित किये व्यय को अनुमत किया था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि उन नियमों और शर्तों जिनके अन्तर्गत विदेशों से प्रोत्साहन/अनुदान प्राप्त हुआ था, को दिखाने के लिए रिकार्डों में कुछ भी नहीं था। एओ ने विदेशों से प्राप्त प्रोत्साहन/अनुदान की मात्रा और शर्तों के संबंध में अधिनियम की धारा 90 के अन्तर्गत 'सूचना विनियम' के तंत्र का उपयोग नहीं किया था।

इस प्रकार, एओ को निर्धारणों को पूर्ण करते समय विदेशों से प्राप्त प्रोत्साहन/अनुदान की सत्यता का पता नहीं चल रहा था और वह निर्धारिती द्वारा किये गये प्रकटन पर पूर्ण रूप से भरोसा कर रहा था। सत्यापन की अनुपस्थिति में, निर्धारिती द्वारा विदेशों से प्राप्त प्रोत्साहन/अनुदान की राशि को दबाने की संभावना तथा निर्धारिती द्वारा निर्माण लागत के कारण अनियमित व्यय का दावा किया जा सकता है, जो की सरकार के राजस्व के हित को जोखिम में डालता है।

मनोरंजन क्षेत्र²⁹ पर सेवा कर की उगाही और संग्रहण पर हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भी भारतीय निर्माणशाला और विदेशी कंपनियों के बीच संव्यवहार की गैर-सत्यता के मामले को उजागर करता है और यह सुझाव दिया जाता है कि सेवा कर उदग्रहित किया गया है या नहीं, यह सत्यापित

27 मै. यशराज फिल्मस प्रा. लि. (नि.व. 2013-14) और मै. सन्नी साउंडस प्रा. लि. (नि.व. 2014-15)

28 मै. रेड चीलीज इंटरटेनमेंट प्रा. लि. (नि.व. 2012-13) और एक्सल इंटरटेनमेंट प्रा. लि. (नि.व. 2012-13)

29 सीएजी की 2017 की प्रतिवेदन सं. 31

करने के लिए सभी पक्षों के बीच संव्यवहार के पूर्ण चक्र की जांच की आवश्यकता है।

3.2 परस्पर सम्बन्धित पार्टियों के लेन-देन और फिल्म निर्माताओं द्वारा अर्जित राजस्व का सत्यापन

फिल्म उद्योग में फिल्म निर्माण, निर्माताओं और समवर्गी सेवा प्रदाताओं के तकनीकी और वाणिज्यिक संस्थान शामिल होते हैं। फिल्म निर्माण में विभिन्न पार्टियों के सहयोग को ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि किसी निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना कर अपवंचन से बचने के लिए दूसरी पार्टी (संबंधित पार्टी) के साथ दूसरे निर्धारिती द्वारा किये गये लेन-देन की सूचना की सटीकता प्रति-सत्यापन के लिए उपयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त, जब फिल्म उद्योग की परस्पर सम्बन्धित पार्टियों द्वारा दूसरे लेखांकन तरीके अपनाये जाते हैं, जब लेन-देन का विस्तृत सत्यापन राजस्व के ब्याज को सुरक्षित करना अपेक्षित हो जाता है।

3.2.1 एक निर्धारिती मै. जैमिनी इंडस्ट्रीज एंड इमेजिंग लिमि. (पीसीआईडी-10, चेन्नई) के मामले में हमने पाया जहां पर कि अधिक छूट परस्पर संबंधित पार्टियों द्वारा अपनाए गये दूसरे लेखांकन तरीके के कारण अनुमत की गई थी। मामले का विवरण नीचे दिया गया है (बॉक्स 3.1 देखें)

बॉक्स 3.1: परस्पर सम्बन्धित पार्टियों के लेन-देनों का विवरण

प्रभार: पीसीआईटी-10, चैन्नई

निर्धारिती: मै. जैमिनी इंडस्ट्रीज एण्ड इमेजिंग लि.

निर्धारण वर्ष: 2008-09 से 2014-15

अधिनियम की धारा 10(2ए) प्रावधान करती है कि यदि एक व्यक्ति किसी एक फर्म में सहभागी होता है उसी रूप में इसका पृथक निर्धारण किया जाता है, तो फर्म की कुल आय में पिछले वर्ष की कुल आय की संगणना में उसके अंशदान सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

निर्धारिती की संवीक्षा निर्धारण क्रमशः ₹ (-)4.39 करोड़, ₹ 1.58 करोड़, ₹ 4.16 करोड़, ₹ 29.71 करोड़, ₹ 14.19 करोड़, ₹ 38.89 करोड़ और ₹ (-)0.60 करोड़ की आय पर क्रमशः नि.व. 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए जनवरी 2010,

दिसंबर 2011, मार्च 2013, मार्च 2014, मार्च 2015, मार्च 2016 और दिसंबर 2016 में पूरे किये गए थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नि.व. 2008-09 से 2014-15 के लिए मै. आनंद सिने सर्विस फिल्म से प्राप्त लाभ के शेयर के प्रति ₹ 195.50 करोड़ की छूट का निर्धारिती ने दावा किया जिसे धारा 10(2ए) के तहत अनुमत किया गया। यद्यपि, नि.व. 2008-09 से 2014-15 के लिए, मै. आनंद सिने सर्विस ने ₹ 26.44 करोड़ का कुल लाभ दर्शाया था जिसमें से केवल ₹ 25.37 करोड़ निर्धारिती कंपनी के लाभ के शेयर से संबंधित था। इस सन्दर्भ में, निर्धारिती कंपनी के खातों की टिप्पणी से देखा गया कि फर्म से प्राप्त लाभ का शेयर प्रोद्घवन आधार पर माना गया था जबकि फर्म ने लेखाकरण की नकदी प्रणाली का अनुपालन किया था। क्योंकि धारा 10(2ए) के तहत छूट के पीछे उद्देश्य दोहरे कराधान से बचना था, निर्धारिती द्वारा अपने लाभ और हानि खाते में जो लाभ जमा किया गया था इसके अतिरिक्त फर्म का लाभ धारा 10(2ए) के तहत छूट के लिए उपयुक्त नहीं था और निर्धारिती पर कर लगाने के लिए आवश्यक था। इस प्रकार, ₹ 169.93 करोड़ (₹ 195.50 करोड़ - ₹ 25.57 करोड़) से धारा 10(2ए) के अन्तर्गत अधिक छूट अनुमत की गयी, परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 74.52 करोड़ का कम कर उदग्रहण हुआ।

महाराष्ट्र में, हमने देखा कि वि.व. 2016-17 के दौरान महाराष्ट्र फिल्म सर्कल में 376 मामलों का निर्धारण किया गया था और 2013-14 से 2016-17 के दौरान महाराष्ट्र में चार केंद्रीय निर्धारण प्रभागों में 170 मामलों का निर्धारण किया गया था। कुल 546 मामलों में से वैयक्तिक/एचयूएफ जो नकद³⁰ आधारित लेखाकरण का पालन कर रहे थे, से संबंधित 243 मामले तथा कंपनियों/फर्मों, जो लेखाकरण की वाणिज्यिक³¹ प्रणाली का पालन कर रहे थे, से संबंधित 303 मामले थे। लेखाकरण पद्धति अपनाने में अंतर के कारण परस्पर संबंधित पार्टियों द्वारा उनके मध्य किए गए संव्यवहारों की प्रति-जांच कठिन कार्य बन जाता है। फिल्म उद्योग के परस्पर सम्बन्धित पक्षों के लिए मामलों में उच्च जोखिम की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए, यह

30 नकद आधारित लेखाकरण के अंतर्गत राजस्व एवं व्यय हेतु संव्यवहार केवल तब स्वीकार किए जाते हैं जब तदनुसार नकद प्राप्त या भुगतान किया जाता है।

31 वाणिज्यिक लेखाकरण प्रणाली के तहत संव्यवहार तब स्वीकार किए जाते हैं जब वे हुए हों।

सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारितियों के द्वारा कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया जा रहा है, आयकर विभाग को अत्यधिक सावधानी के साथ ऐसे मामलों को देखने की आवश्यकता है।

3.2.2 फिल्म उद्योग में, निर्माता प्रमुख व्यक्ति होता है जो अपने द्वारा निर्मित फिल्म के विभिन्न अधिकारों (वितरण अधिकार, उपग्रह अधिकार, संगीत अधिकार, प्रत्याभूति राजस्व आदि) की बिक्री से लाभ कमाता है। निर्माता की आय प्रमुख रूप से वितरण से होती है। निर्माता व्यापक रूप में वितरण अधिकारों को तीन तरीकों से बेचता है- (i) न्यूनतम गारंटी आधार (ii) पूर्णतया पट्टे पर देना तथा (iii) अग्रिम तथा कमीशन भाग पट्टा जो अतिप्रवाह से संबंधित है। इनमें से तीसरी व्यवस्था के अन्तर्गत, यदि फिल्म की आय निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो तो अधिशेष आय ('अतिप्रवाह' कही जाने वाली) को उनके बीच करार में निर्दिष्ट अनुपात के अनुसार वितरक तथा निर्माता द्वारा बांटा जाता है।

महाराष्ट्र में, 28 निर्माणशालाओं में से, हमारे द्वारा तीन निर्माणशालाओं³² के अभिलेखों की नमूना जांच की गई जहां निर्धारितियों द्वारा फिल्म अधिकार के बिक्री से सकल राशि प्रस्तुत की गई थी, यद्यपि निर्धारितियों द्वारा कोई ब्यौरे नहीं दिये गए थे, कि क्या प्रस्तुत की गई आय न्यूनतम गारंटी की राशि थी या राजस्व के अतिप्रवाह से थी अथवा क्या आय अतिप्रवाह में सम्मिलित थी। एक मामला नीचे दर्शाया गया है (बॉक्स 3.2 देखें)

बॉक्स 3.2: राजस्व के अतिप्रवाह के निगरानी का द्रष्टांत

प्रभार: पीसीआईटी-16, मुम्बई

निर्धारिती: मै. धर्मा प्रोडक्शन प्रा. लि. (डीपीपीएल)

निर्धारण वर्ष: 2011-12 से 2014-15

निर्धारिती ने करार की सामान्य शर्तें जिसके अंतर्गत उसे आय प्राप्त करनी पड़ी थी बताई थी। अतिप्रवाह से प्राप्त वास्तविक राशि का कोई द्विभाजन दस्तावेजों में नहीं था। इसके परिणामस्वरूप अतिप्रवाह से प्राप्त राशि को

32 मै. धर्मा प्रोडक्शन प्रा. लि., पीसीआईटी-16 मुम्बई (नि.व. 2011-12 से 2014-15), मै. सनी साउंडस प्रा. लि., पीसीआईटी-16 मुम्बई (नि.व. 2014-15), मै. बालाजी मोशन पिक्चर्स लि., पीसीआईटी (सेन्ट्रल)-2, मुम्बई (नि.व. 2011-12 से 2015-16)

सुनिश्चित नहीं किया जा सका। हमने उसी प्रभार में यह भी देखा कि अन्य निर्धारिती³³ ने फिल्म के विभिन्न अधिकारों की बिक्री करके अर्जित आय का विवरण दिया था तथा पृथक रूप से राजस्व के अतिप्रवाह से प्राप्त भाग का विवरण भी दिया था। यद्यपि, एओ ने मै. डीपीपीएल के मामले में प्राप्त अतिप्रवाह के विषय में पूछताछ नहीं की।

आयकर अधिनियम/नियमावली में, अतिप्रवाह के साथ-साथ फिल्म के विभिन्न अधिकारों से अर्जित राजस्व के विवरण को प्रस्तुत करने हेतु निर्माता के लिए कोई विशिष्ट फॉर्म निर्धारित नहीं किया गया है; यद्यपि अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान (धारा 285बी) है जो इसे फिल्म के निर्माण की लागत के व्ययों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्माताओं के लिए अनिवार्य बनाती है। अतः क्या निर्माता ने फिल्म से हुई सही आय प्रस्तुत की है अथवा आय का अतिप्रवाह फिल्म के विभिन्न अधिकारों से अर्जित आय के पूर्ण प्रकटन को अनिवार्य बनाने वाले तंत्र के अभाव की वजह से सुनिश्चित करने योग्य नहीं है।

3.3 विदेशी लाईन निर्माता को अदा की गई निर्माण लागत के प्रशोधन में भिन्नता

अधिनियम की धारा 9(i)(vii) दर्शाती है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत से बाहर रहता है या भारत से बाहर कोई आय कमाने या अर्जित करने के उद्देश्य हेतु देय तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के साधन द्वारा आय भारत में प्रोदभूत या अर्जित मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 9(i)(vii) की व्याख्या 2 के अनुसार, 'तकनीकी सेवाओं के लिए फीस' का अर्थ है कोई प्रबंधन, तकनीकी या परामर्श सेवा प्राप्त करने के लिए कोई राशि (एक मुश्त राशि सहित)।

महाराष्ट्र में, नि.व. 2012-13 के लिए मै. एन्डेमोल साउथ अफ्रिका (मालिक) लि. (ईएसएएल) के मामले में, अन्तर्राष्ट्रीय करधान के एओ³⁴ ने यह निष्कर्ष दिया था कि भारतीय निर्माता³⁵ द्वारा भुगतान की गई ₹ 9.60 करोड़ की

33 नि.व. 2011-12 से 2014-15 तक के दौरान संवीक्षा तरीके से निर्धारित मै. यशराज फिल्मस प्रा. लि.

34 डीसीआईटी (आईटी)-2 (2) (1), मुंबई

35 मै. एंडमोल इंडिया प्रा. लि.

लाइन निर्माता फीस कॉपीराइट के लिए तकनीकी सेवाओं तथा निर्माण के लिए प्रदान की गई प्रबंधकीय सेवाओं की प्रकृति की थी, प्रशासनिक प्रभारों की प्रकृति की नहीं। इस आधार पर एओ ने यह कहते हुए निर्धारिती के प्रतिपूर्ति दावे को अस्वीकृत किया था कि ईएसएएल को भुगतान करते समय भारतीय निर्माता द्वारा @ 10 प्रतिशत पर कर की छूट देना उचित था। तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी तथा फीस के रूप में लाइन निर्माता को ऐसे भुगतान पर विचार करते हुए विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) द्वारा भी इस मत को स्वीकार किया गया था।

अन्य तीन मामलों³⁶ में हमने पाया कि भारतीय निर्माता ने विदेशी निर्माता को फिल्म की निर्माण लागत के प्रति ₹ 223.76 करोड़ का भुगतान किया जिसमें तकनीकी सेवा शुल्क भी सम्मिलित था, तथापि, भारतीय निर्माताओं द्वारा कोई कर रोका नहीं गया। आयकर विभाग ने भी ₹ 223.76 करोड़ के व्यय को अननुमत नहीं किया जो यह दर्शाता है कि आयकर विभाग के विभिन्न निर्धारण प्रभारों में अनुरूपता की कमी थी, यद्यपि भुगतानों की प्रकृति अर्थात् सभी मामलों में लाइन निर्माता शुल्क समान था।

मै. रेड चिल्लिज एन्टरटेनमेंट प्रा. लि. के मामले में आयकर विभाग ने आपत्ति को अस्वीकार करते हुए कहा (अप्रैल 2018) कि निर्धारिती द्वारा मै. विनफोर्ड प्रोडक्शन लि. (विदेशी लाइन निर्माता) को किए गए भुगतान पर टीडीएस की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह भुगतान मै. विनफोर्ड प्रोडक्शन लि. (विदेशी निर्माता) द्वारा किए गए व्यय और दी गई सेवाओं के लिए किया गया था तथा इसे तकनीकी सेवाओं के रूप में व्यवहारित नहीं किया जा सकता।

विदेशी लाइन निर्माता को निर्माण लागत भुगतान के लिए किए गए व्ययों को मानने में विभाग द्वारा अपनाए गए असंगत दृष्टिकोण पर प्रकाश डालने हेतु लेखापरीक्षा आपत्तियां की गईं। एक मामले में (डीसीसीसी 4(2) मुंबई के अंतर्गत मै. ऐंडमोल साउथ अफ्रिका (मालिक) लि.) के भुगतान को तकनीकी सेवाओं के रूप में माना गया था जबकि अन्य तीन मामलों में व्यय के रूप में

36 (i) मै. सनी साउंड्स प्रा. लि., (पीसीआईटी-16, मुंबई) (ii) मै. यशराज फिल्मस प्रा. लि. (पीसीआईटी-16, मुंबई) और (iii) मै. रेड चिल्लिज एन्टरटेनमेंट प्रा. लि. (पीसीआईटी (मध्य)-2, मुंबई)

माना गया था। विभाग द्वारा इसे असंगत मानने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया।

3.4 माल सूची और पूर्व-प्रचालन व्यय को बट्टे खाते में डालने के व्यवहार का सत्यापन

तमिलनाडु में हमने पाया कि एओ ने सीआईटी-10, चैन्नई प्रभार में नि.व. 2014-15 के लिए मै. पेंटा मीडिया ग्राफिक्स लिमि. के मामले में ₹ 8.01 करोड़ की राशि 'फिल्म अधिकारों और फिल्मों की प्रगति की मालसूची को बट्टे खाते में डालना' अननुमत की थी, जबकि मै. जी.वी. फिल्मस लि. के एक अन्य मामले में नि.व. 2013-14 के लिए समान प्रभार में 'फिल्म अधिकार और अर्धनिर्मित निर्माण बट्टे खाते में डालना' के संबंध में ₹ 142 करोड़ अननुमत नहीं किए गए थे। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि दोनों निर्धारिती एक ही सर्कल में आंके गए थे, एओ द्वारा फिल्म अधिकारों की सूची बट्टे खाते में डालने की अनुमतता में एकरूपता नहीं अपनाई गई।

हमने यह भी पाया कि पीसीआईटी-5, बैंगलुरु के प्रभार में, एओ ने एक मामले में³⁷ ₹ 2.93 करोड़ के पूर्व-प्रचालन प्रभार को अननुमत किया और यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त राशि को 10 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना चाहिए क्योंकि व्यावसायिक कार्यकलाप अगले वित्त वर्ष में आरंभ हुए थे। इस अननुमता को अपील (जुलाई 2016) ने भी कायम रखा। तथापि, एक अन्य मामले में³⁸ समान केंद्रीय रेंज के अंतर्गत एक अन्य एओ द्वारा ₹ 78.23 लाख के पूर्व-प्रचालन व्यय का दावा अनुमत किया गया। इस प्रकार, तथ्य और परिस्थितियों की प्रकृति समान होने के बावजूद भी, एक ही एओ ने अलग-अलग व्यवहार प्रदान किए।

3.5 निर्माणाधीन फिल्मों के वितरण अधिकारों की खरीद पर स्रोत पर कर की कटौती के प्रावधान का अभाव

महाराष्ट्र, पीसीआईटी-16, मुम्बई प्रभार में, लेखापरीक्षा ने मै. साइजर्जी पिक्चर्स प्रा. लि. के मामले में यह देखा कि निर्धारिती ने वि.व. 2009-10

37 मै. जीएमआर स्पोर्ट्स प्रा. लि.

38 मै. रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स (प्रा.) लि.

(नि.व. 2010-11) में निर्माणाधीन फिल्मों अर्थात् 'रक्तचरित्र 1' एवं 'रक्तचरित्र 2' के प्रति ₹ 2.50 करोड़ का अग्रिम प्राप्त किया था, तथापि भुगतानकर्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप इसे निर्धारिती के फॉर्म 26एस³⁹ में परिलक्षित नहीं किया जा सका। फिल्म वि.व. 2010-11 (नि.व. 2011-12) के दौरान प्रदर्शित हुई थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि निर्धारिती ने नि.व. 2011-12 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं की थी तथा नि.व. 2011-12 के लिए निर्धारण ₹ 1.65 करोड़ की आय पर अधिनियम की धारा 144 के अनुसार बेहतर निर्णय के तहत पूर्ण किया गया था। निर्धारण पूर्ण करते समय, एओ ने कराधान के लिए उन प्राप्तियों पर विचार किया था जिन्हें फॉर्म 26एस में परिलक्षित किया जा रहा था तथा निर्धारिती द्वारा प्राप्त ₹ 2.50 करोड़ की राशि कर उद्ग्रहण से वंचित थी। यदि ₹ 2.50 करोड़ की अग्रिम राशि पर स्रोत पर कर की कटौती की गई होती तो इसे फॉर्म 26एस के माध्यम से एओ के संज्ञान में आता और कर के दायरे में लाया जा सकता। इस चूक के फलस्वरूप ₹ 83.04 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि मोशन पिक्चर्स के निर्माण में संलग्न दो निर्धारितियों⁴⁰ ने विभिन्न पार्टियों से निर्माणाधीन फिल्मों के प्रति अग्रिम प्राप्त किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फिल्मों का वितरण भी सम्मिलित था। यद्यपि कर की कटौती स्रोत पर निर्धारिती को भुगतान करते समय आंशिक राशि पर केवल एक पार्टी द्वारा की गई थी। यह स्थिति (स्रोत पर कर की कटौती/गेर कटौती) निर्माणाधीन फिल्मों के वितरण अधिकारो पर टीडीएस प्रावधान के अभाव की वजह से उत्पन्न हुई थी। ऐसी स्थिति में, आयकर विभाग के लिए वितरको से निर्माताओं द्वारा प्राप्त आय का पता लगाना कठिन हो जाता है क्योंकि यह निर्माताओं के विवेक पर है कि वह आय के रूप में अग्रिम प्रस्तुत करें या नहीं।

यद्यपि धारा 194सी के तहत स्पष्टीकरण (iv)(ख) 'संचार एवं प्रसारण कार्य के लिए कार्यक्रमों के निर्माण' के लिए प्रावधान बनाए गए थे, जिसमें यह

39 फॉर्म 26एस एक समेकित कर विवरण है जिसमें पैन के साथ जुड़ी सूचना से संबंधित सभी कर हैं।

40 मै. मेड्डॉक फिल्म प्रा. लि. तथा मै. राजकुमार हिरानी फिल्म प्रा. लि. (दोनों पीसीआईटी-16, मुम्बई में)

वर्णित किया गया है कि धारा 194सी के प्रयोजन हेतु “कार्य” में ‘ऐसे संचार एवं प्रसारण कार्यक्रमों के निर्माण सहित संचार एवं प्रसारण’ सम्मिलित होंगे, तथापि धारा 194सी के तहत स्रोत पर कर कटौती के प्रयोजन हेतु ‘कार्य’ की परिधि में फिल्म का वितरण/निर्माण सम्मिलित नहीं था।

3.6 फ्रेंचाइजी फीस के ऋण परिशोधन पर प्रावधान का अभाव

लेखापरीक्षा ने दो राज्यों में पांच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजीज⁴¹ के संवीक्षा निर्धारण मामलों की नमूना जांच से यह देखा कि उन्होंने वर्ष 2008 में 10 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) से आईपीएल फ्रेंचाइजी अधिकार खरीदे थे तथा उन्हें अधिकार रखने के लिए बीसीसीआई को फ्रेंचाइजी फीस की एकसमान वार्षिक किश्त का भुगतान करना पड़ा था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि तीन फ्रेंचाइजी कम्पनियां (आईएसपीएल, केआरएसपीएल तथा जीएमआरएसपीएल) राजस्व व्यय के रूप में ऐसी किश्त का दावा कर रही थी जबकि दो फ्रेंचाइजी कम्पनियों (जेआईसीपीएल तथा आरसीएसपीएल) ने किश्तों में फ्रेंचाइजी फीस का भुगतान करके भी सम्पूर्ण बोली राशि को पूंजीकृत किया था तथा @ 25 प्रतिशत पर इसके मूल्यहास का दावा कर रही थी। आयकर विभाग ने इसे अमूर्त संपत्ति के रूप में माना था तथा भुगतान की गई किश्तों की राशि पर @ 25 प्रतिशत मूल्यहास को स्वीकृति दी। सीआईटी(ए), मुम्बई ने आईएसपीएल के मामले में आयकर विभाग का पक्ष लिया है। यद्यपि, उच्च अपीलीय प्राधिकारियों ने इस संबंध में विभिन्न मत अपनाए हैं जबकि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) मुम्बई ने प्रकृति में राजस्व के रूप में फ्रेंचाइजी फीस की किश्त को माना था तथा जीएमआरएसपीएल के मामले में आईटीएटी बेंगलूर ने सम्पूर्ण बोली राशि (वास्तविक रूप से भुगतान की गई वार्षिक किश्तों की बजाय) को पूंजीकृत करने का आदेश दिया था तथा इस पर @ 25 प्रतिशत मूल्यहास स्वीकृत किया था।

41 (i) पीसीआईटी (मध्य)-1, मुंबई में मै. जयपुर आईपीएल क्रिकेट प्रा. लि. (जेआईसीपीएल) (ii) पीसीआईटी (मध्य)-2, मुंबई में मै. नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (केआरएसपीएल), (iii) पीसीआईटी (मध्य)-3, मुंबई में मै. इंडियाविन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आईएसपीएल), (iv) पीसीआईटी-5, बेंगलूरु में मै. रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स (पी) लिमिटेड (आरसीएसपीएल) और (v) पीसीआईटी (केंद्रीय), बेंगलूरु में मै. जीएमआर स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड (जीएमआरएसपीएल)

अतः इस व्यय को विभिन्न अपीलीय स्तरों पर भिन्न प्रकार से माना गया था तथा ऐसे व्ययों से निपटने के लिए अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान के अभाव के कारण मामलों पर मुकदमेबाजी हुई।

3.7 फार्म 52ए की निगरानी तथा उपयोग के लिए तंत्र का अभाव

फिल्म निर्माताओं द्वारा व्यय की वृद्धि की जांच करने तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भुगतान कर्ताओं के विषय में सूचना प्राप्त करने में विभाग को सक्षम बनाने हेतु धारा 285बी प्रारम्भ⁴² की गई। इस धारा के अन्तर्गत, सिनेमा फिल्म का निर्माण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्माण पूर्ण होने की तिथि से 30 दिन अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिन जो भी पहले हो, के अन्दर निर्माण पूर्ण होने तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा इसके भाग के लिए निर्माण में उसके द्वारा संलग्न व्यक्तियों को उससे द्वारा किए गए अथवा उससे बकाया औसतन ₹ 50,000 से अधिक के सभी भुगतानों का विवरण देने वाले फार्म 52ए में एक ब्यौरा न्यायाधिकरण निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। चूक के मामले में, धारा 272ए(2)(सी) के तहत शास्ति @ ₹ 100 प्रति दिन उदग्राह्य है।

‘फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग में संलग्न निर्धारितियों के कराधान’ पर हमारे निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन⁴³ में लेखापरीक्षा द्वारा क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा विचार करने हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी:

- 1) फार्म 52ए की प्राप्ति की उचित रूप से निगरानी की जाए;
- 2) यदि आयकर विवरणी भरने से पूर्व फॉर्म प्राप्त न हुआ हो तो फिल्मों पर व्यय को अस्वीकृत करने के लिए अधिनियम में उपयुक्त प्रावधान बनाया जाए;
- 3) उन व्यक्तियों जिनको भुगतान किया जा रहा है, का पैना शामिल करने के लिए फॉर्म में संशोधन किया जाए।

42 जुलाई 1976 में जारी परिपत्र सं. 204 के माध्यम से सीबीडीटी द्वारा स्पष्टीकृत रूप में

43 2010-11 की प्रतिवेदन (प्रत्यक्ष कर) संख्या 36 का पैरा 3.37

लेखापरीक्षा द्वारा प्रथम दो सिफारिशों के परामर्श पर ध्यान देने के लिए सीबीडीटी सहमत हो गया था (फरवरी 2011) तथा उसने तीसरी सिफारिश को स्वीकार किया था (फरवरी 2011)।

3.7.1 पचास हजार रुपये से अधिक के सभी भुगतानों के ब्यौरे वाला फॉर्म 52ए केवल सिनेमा फिल्मों के निर्माताओं के लिए लागू किया गया है तथा इसे वृत्तचित्रों, कार्यक्रम प्रबन्धन आदि जो फिल्म निर्माण के समान हैं, जैसे मनोरंजन क्षेत्र के अन्य खण्डों में सम्मिलित निर्धारितियों तक नहीं बढ़ाया गया है तथा इन खण्डों में व्यय की काफी राशि लगाई गई है। फिल्म क्षेत्र के अलावा अन्य मनोरंजन क्षेत्रों में सम्मिलित निर्धारितियों के संबंध में एक योग्य प्रावधान के अभाव में, निर्धारण कार्रवाईयों के दौरान एओ द्वारा इन क्षेत्रों में निर्धारितियों द्वारा दावा किए गए व्ययों का प्रभावी सत्यापन नहीं किया जा रहा था।

3.7.2 निर्माताओं के मामले में, उनके निर्धारणों को फॉर्म 52ए में निहित भुगतान ब्यौरे का सत्यापन किए बिना पूर्ण किया जा रहा था, जिससे यह तंत्र अप्रभावी हुआ। हमने दो राज्यों⁴⁴ में दो निर्धारण मामलों में यह पाया कि फॉर्म 52ए में दर्शाए गए भुगतानों तथा लाभ एवं हानि खाते में संगणित राशियों के ब्यौरे बेमेल थे। फॉर्म 52ए में दर्शाए गए भुगतान लाभ एवं हानि खाते में दर्शाए ब्यौरे से कम थे तथा निर्धारणों को लाभ तथा हानि खाते में स्वीकृत व्यय की अधिक राशियों के आधार पर पूर्ण किया गया था। एक मामले की व्याख्या नीचे की गई है (बॉक्स 3.3 देखें)।

बॉक्स 3.3: फॉर्म 52ए की तुलना में लाभ तथा हानि खाते के अनुसार भुगतान में पाई गई भिन्नता के दृष्टांत

प्रभार: सीआईटी-6, हैदराबाद

निर्धारिती: वीरा वेंकटा दनाय्या दसरी

निर्धारण वर्ष: 2013-14

निर्धारिती का निर्धारण ₹ 4.24 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में पूर्ण हुआ। निर्धारिती ने नि.व. 2013-14 से संबंधित वि.व. 2012-13 के दौरान

44 कर्नाटक (पीसीआईटी-2, बैंगलूरु में श्री सीथाभरवेश्वरा प्रोडक्शन) तथा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना (श्री डी.वी.वी. दनाय्या)

दो फिल्मों अर्थात् 'नायक' तथा 'कैमरामैन गेंगेथो रामबाबू' प्रस्तुत की थी तथा इन फिल्मों के प्रति निर्माण व्ययों का दावा किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने लाभ तथा हानि खाते में निर्माण व्ययों के रूप में ₹ 4.59 करोड़ का दावा किया था जबकि फॉर्म 52ए में निर्धारिती द्वारा दर्शाया गया भुगतान केवल ₹ 2.87 करोड़ था। इस प्रकार, फॉर्म 52ए तथा लाभ एवं हानि खाते के बीच ₹ 1.72 करोड़ की भिन्नता थी। यद्यपि, एओ ने निर्धारण पूर्ण करते समय निर्धारिती द्वारा दावा किए गए निर्माण व्ययों के साथ फॉर्म 52ए में प्रस्तुत सूचना को सहसंबंधित नहीं किया।

आयकर विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2018) कि फॉर्म 52ए में फार्म जमा करने की तिथि तक किए गए उक्त ₹ 50,000 से अधिक के भुगतान दर्शाए थे जबकि फॉर्म 52ए जमा करने के पश्चात किए गए भुगतानों को इसमें परिलक्षित नहीं किया गया था। इसके अलावा, लाभ तथा हानि खाते और फॉर्म 52ए में से घटाए गए व्यय तुलनीय नहीं थे क्योंकि दोनों भिन्न समयावधियों से सम्बंधित हो सकते थे। महज इसलिए कि व्यय को फॉर्म 52ए में परिलक्षित नहीं किया गया था, इसे अस्वीकृत नहीं किया जा सकता था।

आयकर विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि फॉर्म 52ए के कॉलम में फॉर्म 52ए जमा करने की तिथि तक भुगतान की गई तथा बकाया दोनों राशियां सम्मिलित होती हैं। इसके अलावा, निर्धारितियों की खाता बही के अनुसार केवल वि.व. 2012-13 के दौरान भुगतान किए गए थे तथा सभी प्राप्तकर्ता कॉर्पोरेट सत्व थे जो लेखाकरण की वाणिज्यक प्रणाली का अनुसरण करते हैं। अतः आयकर विभाग का यह तर्क कि लाभ तथा हानि खाते तथा फॉर्म 52ए से घटाए गए व्यय तुलनीय नहीं थे, सही नहीं था।

3.7.3 वर्तमान प्रारूप में फॉर्म 52ए में भुगतानकर्ता का पैन अपेक्षित नहीं है। भुगतानकर्ता के पैन के अभाव में, उस व्यक्ति जिसको भुगतान किया गया है, का पता लगाना तथा सव्यवहार की सत्यता को प्रमाणित करना कठिन होगा। उन व्यक्तियों जिसको निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया है, के पैन के समावेश तथा मंत्रालय द्वारा इसकी स्वीकृति के संबंध में 'फिल्म तथा टेलीविजन उद्योग में संलग्न निर्धारितियों का कराधान' पर प्रतिवेदन में की

गई सिफारिश के बावजूद, आयकर विभाग ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। इस प्रकार, प्राप्तकर्ता के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिए फॉर्म 52ए का प्रयोजन विफल हुआ है।

3.7.4 हमने 10 राज्यों में 77 निर्माताओं के मामलों में यह पाया कि उन्होंने सम्बंधित फिल्म के प्रति उल्लिखित अवधि के दौरान 152 फिल्मों में निर्मित तथा प्रदर्शित की थी। लागू फॉर्म 52ए (i) दस राज्यों में 140 फिल्मों के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था; तथा (ii) तीन राज्यों में 12 फिल्मों के लिए निर्धारित समय के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया था जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया है। यद्यपि, आयकर विभाग द्वारा लागू शास्ति का उदग्रहण नहीं किया गया था।

तालिका 3.1: फॉर्म 52ए प्रस्तुत न करना/विलम्ब से प्रस्तुत करना

राज्य	निर्माताओं की संख्या	प्रदर्शित की गई फिल्मों की संख्या	प्रस्तुत न किए गए फॉर्म 52ए की संख्या	विलम्ब से प्रस्तुत किए गए फॉर्म 52ए की संख्या
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	5	8	1	7
असम	1	1	1	0
कर्नाटक	7	19	17	2
केरल	23	33	30	3
महाराष्ट्र	9	29	29	0
पंजाब	1	1	1	0
राजस्थान	3	3	3	0
तमिलनाडु	24	52	52	0
उत्तर प्रदेश	1	1	1	0
पश्चिम बंगाल	3	5	5	0
कुल	77	152	140	12

3.8 डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा प्रदत्त डाटा तथा निर्धारण प्रभार डाटा में बेमेलता

हमने चार राज्यों जहां विशिष्ट फिल्म सर्कल तथा फिल्म वार्डस विद्यमान है, में वि.व. 2013-14 से वि.व 2016-17 की समयावधि हेतु 'मांग एवं संग्रहण रजिस्टर' (डीएंडसीआर) के अनुसार संवीक्षा डाटा की तुलना में डीजीआईटी (प्रणाली), नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त डाटा के विश्लेषण से यह देखा कि संवीक्षा

मामलों की वास्तविक संख्या डीजीआईटी (प्रणाली), नई दिल्ली की सूची में दर्शाए गए मामलों की संख्या से अधिक थी। उदाहरणार्थ, डीएंडसीआर की तुलना में डीजीआईटी (प्रणाली) में मामलों की संख्या उक्त समयावधि के दौरान सर्कल 16(1), मुम्बई तथा सर्कल 20(1), चेन्नई में क्रमशः 373 तथा 284 तक अधिक थी।

वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान अंतिम रूप दिए गए संवीक्षा मामलों की सम्पूर्ण संख्या में भिन्नता 02 से 141 के बीच है (परिशिष्ट-4)। डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा प्रदत्त डाटा में बेमेलता आयकर विभाग में संग्रहित क्षेत्र-वार डाटा की अविश्वसनीयता दर्शाती है।

3.9 निष्कर्ष

- विदेशी लाइन निर्माताओं को किए गए निर्माण लागत भुगतान के कारण भारतीय निर्माणशालाओं द्वारा दावा किए गए व्ययों के सत्यापन के संबंध में खराब निगरानी तंत्र की वजह से निर्धारिती द्वारा व्ययों के अनियमित दावे की संभावना है।
- भारतीय निर्माणशालाओं द्वारा विदेशी सरकारों से प्राप्त प्रोत्साहन/अनुदान के सत्यापन के सदर्भ में अभावपूर्ण निगरानी तंत्र के कारण कम प्रोत्साहन/अनुदान दर्शाकर लाभ को कम करके दिखाने की गुंजाइश है।
- इस क्षेत्र की परस्पर सम्बन्धित पार्टियां विभिन्न लेखाकरण पद्धतियों का अनुसरण कर रही हैं। जिससे आय के अस्थगन/बचने की गुंजाइश है।
- अधिनियम में मौजूदा प्रावधान के अनुसार, अतिप्रवाह तथा विभिन्न फिल्म अधिकारों से अर्जित राजस्व का ब्यौरा प्रस्तुत करना निर्माता के लिए अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार, निर्माताओं द्वारा आय को कम बताने की संभावना के कारण कर के अपवंचन का जोखिम है।
- विदेशी लाइन निर्माताओं को भुगतान के संबंध में कर काटने के प्रावधानों को लागू करने में समानता नहीं थी क्योंकि इस प्रकार के

भुगतानों के निरूपण में स्पष्टता नहीं थी जैसे प्रशासनिक प्रभार अथवा तकनीकी सेवाओं हेतु शुल्क।

- निर्धारण अधिकारियों के द्वारा पूर्व प्रचालन खर्चों की अनुमति देने में समानता नहीं थी, तथ्यों और परिस्थितियों की प्रकृति समान होने के बावजूद समान मामलों में निर्धारण अधिकारियों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण असंगति को दर्शाता है।
- यद्यपि संचार और प्रसारण हेतु कार्यक्रमों के निर्माण के संबंध में भुगतान पर धारा 194सी के तहत कर पर कटौती का प्रावधान है, निर्माण के तहत फिल्मों के वितरण अधिकार को खरीदने के संबंध में भुगतान हेतु ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं था। इस प्रकार, भुगतान का विवरण निर्धारती (निर्माता) के फॉर्म 26 ए एस में परिलक्षित नहीं होता है। जिससे आय का बचने का जोखिम है।
- बीसीसीआई को आईपीएल फ्रेंचाइजी द्वारा भुगतान की गई फ्रेंचाइजी फीस की स्वीकृति में एकरूपता तथा सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम/नियमों में विशिष्ट प्रावधान नहीं है। इसके परिणामस्वरूप मामले पर मुकद्दमेबाजी हुई क्योंकि विभिन्न अपीलीय प्राधिकारी ऐसी फ्रेंचाइजी फीस को भिन्न तरीके से मान रहे हैं।
- फॉर्म 52ए की प्रस्तुति की निगरानी नहीं की गई तथा फॉर्म 52ए में फिल्म निर्माता द्वारा दर्शाई गई निर्माण लागत के ब्यौरे को निर्धारण के दौरान उचित रूप से सत्यापित नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप निगरानी तंत्र निष्प्रभावी रहा। वर्तमान प्रारूप में फॉर्म 52ए संबंधित पार्टी सव्यंवारों के दोहरे सत्यापन के लिए भुगतानकर्ता का पता लगाने के लिए इसे कठिन बताते हुए भुगतानकर्ता का पैना नहीं मांगता।

3.10 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि:

- क.** सीबीडीटी लेनदेनों के व्यापक सत्यापन के लिए निर्धारण अधिकारियों को निम्न मामलों के संदर्भ में निर्देश जारी करे:
- i. विदेशी लाइन निर्माताओं को भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्माण लागत की प्रतिपूर्ति
 - ii. विदेशी सरकार से भारतीय निर्माताओं द्वारा अनुदान/प्रोत्साहनों के भाग की प्राप्ति
 - iii. इस क्षेत्र की परस्पर सम्बन्धित पार्टियों द्वारा विभिन्न लेखांकन विधियों को अपनाना और फिल्म निर्माताओं द्वारा अतिप्रवाह और विभिन्न फिल्म अधिकारों से अर्जित राजस्व
- ख.** फॉर्म 52ए के प्रभावी उपयोग के संबंध में, सीबीडीटी निम्नलिखित पर विचार करें:
- i. सभी फिल्म निर्माताओं से फॉर्म 52ए की प्राप्ति अग्रसक्रिय रूप से करने हेतु
 - ii. मनोरंजन उद्योग के अन्य सम्मिलित उप-क्षेत्रों अर्थात् वृत्तचित्र निर्माता, कार्यक्रम प्रबन्धन फर्मों/कम्पनियों आदि में संलग्न निर्धारितियों के लिए फॉर्म 52ए द्वारा प्रदर्शित आवश्यकता को बढ़ाने पर
 - iii. फिल्म निर्माताओं से भुगतान प्राप्त करने वाले आदाताओं का पैन सम्मिलित करने के लिए फॉर्म 52ए का प्रारूप बदलने पर
 - iv. विभिन्न फिल्म अधिकारों/ अतिप्रवाह (अधिशेष प्राप्तियाँ) से फिल्म निर्माताओं द्वारा अर्जित प्राप्तियों के विवरण का अभिग्रहण करना
 - v. फॉर्म 52ए के प्रारूप के अनुसार मांगे गए सभी ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए इसे अनिवार्य बनाने पर

- vi. उन निर्धारितियों के संदर्भ में जो लेखाकरण के नकद/वाणिज्यक आधार का अनुसरण कर रहे हैं, प्राप्तियों के दोहरे सत्यापन को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में भुगतान की गई राशियों तथा फॉर्म 52ए भरने की तिथि तक भुगतान हेतु बकाया राशियों के ब्यौरो को पृथक रूप से प्रस्तुत करने के लिए इसे आवश्यक बनाने पर।

सीबीडीटी ने उत्तर दिया (जून 2018) कि फॉर्म 52ए के प्रारूप की लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार जांच की जाएगी और उसे संशोधित किया जाएगा।

